न्यायालय विशेष न्यायाधीश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–६, फतेहपुर।

विशेष परीक्षण सं०–२४ सन २०१८

राज्य प्रति फाई उर्फ चन्द्रभान आदि

आरोप

मैं, रविकरण सिंह, विशेष न्यायाधीश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–६, फतेहपुर आप अभियुक्तगण

१. फाई उर्फ चन्द्रभान

२. बड़कू उर्फ सूर्यकरन

३. संजीत पटेल उर्फ विपूल

४. साहिल सिंह परिहार

५. शिवम शुक्ला

को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि आप अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है, जिसके लीडर आप अभियुक्त फाई उर्फ चन्द्रभान है तथा आप बड़कू उर्फ सूर्यकरन, संजीत पटेल उर्फ विपूल, साहिल सिंह परिहार एवं शिवम शुक्ला गैंग के सदस्य है। आप लोग स्वयं, अपने गिरोह के अन्य साथियों व अन्य पारिवारिक सदस्यो के लाभ के लिए भारतीय दण्ड विधान के अध्याय १६, १७, २२ के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करते है, जिससे आपने जन सामान्य मे भय आतंक एवं दहशत का वातावरण बना कर लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त किया है। आप लोगों के द्वारा कारित किए गए समाज विरोधी क्रिया कलाप मे संलिप्तता का विवरण गैंग चार्ट के अनुसार निम्न लिखित है–

१. फाई उर्फ चन्द्रभान

१. मुकदमा अपराध संख्या–४९ सन २०१६, धारा–३९४, ४११ भा०दं०सं० थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

२. मुकदमा अपराध संख्या–३५७ सन २०१६, धारा–३९२, ४११ भा०दं०सं० थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

३. मुकदमा अपराध संख्या–३९२ सन २०१६, धारा–३९२, ४११ भा०दं०सं० थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

४. मुकदमा अपराध संख्या ३७८ सन २०१६, धारा–३९३ भा०दं०सं० थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

२. बड़कू उर्फ सूर्यकरन

१. मुकदमा अपराध संख्या–४९ सन २०१६, धारा–३९४, ४११ भा०दं०सं० थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

२. मुकदमा अपराध संख्या–३५७ सन २०१६, धारा–३९२, ४११ भा०दं०सं० थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

३. संजीत पटेल उर्फ विपूल

१. मुकदमा अपराध संख्या–४९ सन २०१६, धारा–३९४, ४११ भा०दं०सं०

थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

२. मुकदमा अपराध संख्या–३५७ सन २०१६, धारा–३९२, ४११ भा०दं०सं० थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

३. मुकदमा अपराध संख्या–३९२ सन २०१६, धारा–३९२, ४११ भा०दं०सं० थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

४. मुकदमा अपराध संख्या ३७८ सन २०१६, धारा–३९३ भा०दं०सं० थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

४. साहिल सिंह परिहार

१. मुकदमा अपराध संख्या–३५७ सन २०१६, धारा–३९२, ४११ भा०दं०सं० थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

२. मुकदमा अपराध संख्या–३९२ सन २०१६, धारा–३९२, ४११ भा०दं०सं० थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

५. शिवम शुक्ला

१. मुकदमा अपराध संख्या–४९ सन २०१६, धारा–३९४, ४११ भा०दं०सं० थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

२. मुकदमा अपराध संख्या ३७८ सन २०१६, धारा–३९३ भा०दं०सं० थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

इस प्रकार आप द्वारा कारित उपरोक्त कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

मैं एतदद्वारा निर्देश देता हूं कि उपरोक्त आरोप में आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः १९.०३.२०२०

(रविकरण सिंह)
विशेष न्यायाधीश, उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज
विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–६,फतेहपुर।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उन्होने इंकार किया तथा परीक्षण चाहा।

दिनांकः १९.०३.२०२०

(रविकरण सिंह)
विशेष न्यायाधीश, उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज
विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–६,फतेहपुर।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–६, फतेहपुर।

विशेष परीक्षण सं०–२४ सन २०१८

राज्य प्रति फाई उर्फ चन्द्रभान आदि

आदेश

१९.०३.२०२०

पुकार कराई गई ।

अभियुक्तगण फाई उर्फ चन्द्रभान, बड़कू उर्फ सूर्यकरन, संजीत पटेल उर्फ विपूल, साहिल सिंह परिहार एवं शिवम शुक्ला मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी भी उपस्थित हैं ।

आरोप के बिन्दु पर राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली का परिशीलन करने के उपरान्त मै इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण फाई उर्फ चन्द्रभान, बड़कू उर्फ सूर्यकरन, संजीत पटेल उर्फ विपूल, साहिल सिंह परिहार एवं शिवम शुक्ला के द्वारा प्रथम दृष्टया धारा ३ उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम का अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा ३ उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत आरोप सृजित किये जाने का पर्याप्त आधार मौजूद है।

तद्नुसार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा ३ उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने घटना तथा आरोपों को इंकार किया और विचारण किए जाने की याचना की।

विशेष परीक्षण दिनांक ..... को वास्ते साक्ष्य पेश हो। अभियोजन साक्षीगण को तलब किया जावे ।

दिनांकः १९.०३.२०२०

(रविकरण सिंह)
विशेष न्यायाधीश, उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज
विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–६, फतेहपुर।